फैक्स/अति आवश्यक/आजही निर्गत

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16)2013 पार्ट–2 दिनॉकःलखनऊः सितम्बर 22,2014

आदेश

उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा कुल 223 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति का चयन परिणाम मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रकाशन इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–7 (क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष पाये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुहर बन्द लिफाफों को खोलकर उनमें रखी गयी प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा की गयी संस्तुति के कियान्वयन की कार्यवाही की गयी। प्राधिकृत बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति में उपनिरीक्षक ना0पु0 ओमवीर सिंह जनपद सहारनपुर को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के आधार पर इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके कनिष्ठ की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती हैः–

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0	उ0नि0 का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पीटीसी बैच	नियुक्ति जनपद/इकाई	जोन	भर्ती का वर्ष
1	3	4	5			6		
1	812590573	ओमवीर सिंह	विकम सिंह	13–10–1954	1980–81	सहारनपुर	MRT	2006

3– पदोन्नति पाये उपरोक्त उपनिरीक्षक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक श्री ओमवीर सिंह के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो वे अपने नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। इनकी वरिष्ठता के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेगें।

4— पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मी द्वारा इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा—पत्र दिया जायेगा कि उनके विरूद्ध पदोन्नति के आदेश के दिनॉक तक कोई विभागीय कार्यवाही/जॉच अथवा अपराधिक अभियोग लम्बित/प्रचलित नहीं है। यदि है तो कर्मी द्वारा उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा। यदि इनके द्वारा घोषणा—पत्र में विभागीय कार्यवाही अथवा अभियोग लम्बित होने की कोई जानकारी दी जाती है अथवा वर्तमान में यह निलम्बित चल रहें हों तो इन्हें कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व इनका प्रकरण समस्त विवरण के साथ इस मुख्यालय को सन्दर्भित कर स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिये जाये।

5— सम्बन्धित कर्मी को सचेत किया जाता है कि यदि उनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है तो उनका पदोन्नति आदेश निरस्त कर उसके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.govt.in/ पर प्रदर्शित की जा रही है।

22/9

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृप्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— सदस्य/सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,उ0प्र0 लखनऊ।
2— पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन।
3— पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4— पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र।
5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।